



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/4136

दिनांक : 13-10-16

प्रति,

प्राचार्य,  
शा.विधि महाविद्यालय,  
देवास।

विषय : एल.एल.बी. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम की नवीन सम्बद्धता प्रदान करने बाबत।

संदर्भ :- (1) महाविद्यालय का पत्र क्रमांक/248/विधि/2016, दिनांक 17.03.2016  
(2) महाविद्यालय का पत्र क्रमांक/347/विधि/2016, दिनांक 21.07.2016

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत महाविद्यालय में एल.एल.बी. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम की नवीन सम्बद्धता प्रदान करने का प्रकरण विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.08.2016 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"निर्णय लिया गया कि, शा.विधि महाविद्यालय, देवास द्वारा सम्बद्धता शुल्क निर्धारित तिथि 31 जुलाई के पश्चात जमा किया गया है। चूंकि आदेश क्रमांक/F-21-1/2013/38-2, दिनांक 05.08.2013 को प्राप्त होने पर शुल्क जमा की प्रक्रिया की गई जो 31 जुलाई की स्थिति से बाधित नहीं है। अतः निरीक्षण समिति की अनुशंसानुसार सम्बद्धता प्रदान की जाये।"

उक्त निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को एल.एल.बी.-प्रथम एवं द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम की नवीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

दिनांक : 13-10-16

क्रमांक/अकादमिक/संबद्धता/2016/4137

प्रतिलिपि:-

1. उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ.21-1/2013/38-2, दिनांक 05.08.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. सचिव, बार काउन्सिलिंग ऑफ इण्डिया, 21 राउस एवेन्यू इन्स्टीट्यूशनल ऐरिया, नई दिल्ली-110002,
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
4. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
5. प्राचार्य, संबंधित अग्रणी महाविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र, उज्जैन।
6. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
7. समन्वयक, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
8. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।  
की ओर सूचनार्थ।

10/10/16  
प्रो. इं. चार्ज (अकादमिक)



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/3514

दिनांक :- 30.7.2016

--: सूचना :-

शिक्षा सत्र 2015-16 एवं 2016-17 में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/आगामी कक्षा की सम्बद्धता/पूर्व स्वीकृत संख्या में वृद्धि/सम्बद्धता प्रदान करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण करने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा परिनियम क्रमांक 27 के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया गया है :-

- ✓ A महाविद्यालय का नाम :- शासकीय विधि महाविद्यालय, देवास।
- B आवेदित विषय/पाठ्यक्रम :- (1) एल.एल.बी.-पूर्व से संचालित पाठ्यक्रम
- C समिति के सदस्यों के नाम :-
- |                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| 01. डॉ.बी.पी.तिवारी   | - सेवा निवृत्त, विधि प्राध्यापक, शास.विधि महा.भोपाल |
| 02. डॉ.एन.के.पगड़रिया | - शासकीय विधि महाविद्यालय, इंदौर                    |
| 03. डॉ.बी.एल.शर्मा    | - सेवा निवृत्त, विधि प्राध्यापक, ऋषिगंज उज्जैन      |

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि, वे निरीक्षण प्रतिवेदन में परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वार्षिक शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ प्रायिकृत, संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र भवन, क्रीड़ा परिसर, एवं पाठ्यक्रम आर्किव तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण-पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट अनुरांसाएँ अंकित करें।

संबंधित पाठ्यक्रम की मान्यता देने के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ/संसाधन के भौतिक सत्यापन का समस्त उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति का होगा। समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचनाई कि कृपया अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन एवं महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान की गई विडियोग्राफी की सी.डी. दो प्रतियों में उपलब्ध कथने का कष्ट करें, ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निर्धारता दी जा सके। विडियोग्राफी के खर्च का वहन महाविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

निरीक्षण समिति/समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता तथा समिति द्वारा प्रयुक्त वाहन के वास्तविक व्यय आदि की राशि का भुगतान संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

आदेशानुसार

प्रो. इंपार्ज (अकादमिक)

जिरंजर...02